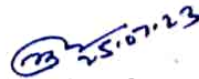


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-49/2022

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
25.07.2023	—:आदेश:— अभिलेख उपस्थापित। यह संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-49/2022 राजस्व उपनिरीक्षक हल्का-04-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटौंड (विद्यासागर) के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0-04 ने प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटौंड (विद्यासागर) के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-सुगापहाड़ी, थाना सं0-42, खाता सं0-31/21 भूमि जमाबंदीधारी मानो मियाँ पिता-माखो मियाँ ग्राम-सुगापहाड़ी पो0-करमाटौंड थाना-करमाटौंड, जिला-जामताड़ा के नाम से जमाबंदी सं0-31/21 में जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष-1978-79 से 1992-93 तक जमा दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं होने से तथा भूमि का किस्म पुरातन पतित होने से उक्त जमाबंदी संदिग्ध मानते हुए जमाबंदी रद्दीकरण की कारवाई की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी/उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वादी की ओर से उनके पौत्र श्री अख्तर अंसारी पिता-अली मोहोम्मद ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में लगान रसीद सं0-023418 एवं अन्य कई लगान रसीद तथा पट्टा सं0-591 की छायाप्रति समर्पित किया है। बाद में कागजातों की मूल प्रति भी प्रदर्शित किया है। उनका कहना है कि वे लोग अपने दादाजी के समय से ही उक्त भूमि पर दखल भोग करते आ रहे हैं तथा सरकार को भू-राजस्व लगान जमा करते आ रहे हैं। समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, तदोपरान्त दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की माँग राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0-IV/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड (विद्यासागर) से की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड(विद्यासागर) ने संयुक्त प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा-सुगापहाड़ी न0-42 अन्तर्गत अनावादी खाता सं0-31/21 दाग सं0-581 रकबा-0.84 एकड़ किस्म-पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। जाँचोपरान्त पाया कि उक्त भूमि पर 1.इस्माईल मियाँ 2.इस्हाक मियाँ 3.तस्लीम मियाँ 4.मुस्लिम मियाँ चारो पिता-स्व0 पुरन मियाँ 5.इसर्राईल मियाँ 6.अख्तर अंसारी 7.मुख्तार अंसारी 8.नाजीर अंसारी चारो पिता-स्व0 अली मोहोम्मद 9.अजीज मियाँ पिता-स्व0 मानो मियाँ 10.हुसैन अंसारी 11.इरफान अंसारी दोनों पिता-स्व0 इलियास मियाँ सभी साकीन सुगापहाड़ी के द्वारा बाड़ी बना कर दखल-कब्जा है। तथा उपरोक्त सभी लोग जमाबंदीधारी मानो मियाँ के वंशज है। उपलब्ध कागजात, संलग्न लगान रसीद तथा मापी-सह-दखल संबंधी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0-31/21 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजें।	


 अंचल अधिकारी,
 करमाटौंड(विद्यासागर),
 जामताड़ा।